

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा**  
**पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या : 127/2019 प्रार्थना पत्र

प्राधिकृत अधिकारी - भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कार्यालय तनावग्रस्त आस्ति प्रबन्धन शाखा-II, ग्यारहवां तल, एस.टी.सी. बिल्डिंग, 01 टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली

**उनवान**

**बनाम** मैसर्स कमल सूटिंग्स प्रा.लि. जरिये निदेशक कपिल माहेश्वरी पुत्र सत्यनारायण टवानी पता - ई - 188, तीसरा चरण, रीको औद्योगिकी क्षेत्र, बिलियां, भीलवाड़ा, दूसरा पता - डी-13 (प्रथम तल) डी ब्लॉक भीलवाड़ा टैक्सटाईल मार्केट, गांधी नगर, भीलवाड़ा

— प्रार्थी

—अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**

प्राधिकृत अधिकारी- श्री सुजीत

**निर्णय**

दिनांक : 21-8-2019

प्राधिकृत अधिकारी, श्री सुजीत, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कार्यालय तनावग्रस्त आस्ति प्रबन्धन शाखा-II, ग्यारहवां तल, एस.टी.सी. बिल्डिंग, 01 टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। जिसमें अप्रार्थी को 6,00,86,000/- रुपये का ऋण दिनांक 18.01.2018 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो चल/अचल सम्पत्ति - अनुसूची - 1 अनुसार मैसर्स कमल सूटिंग्स प्रा. लि. अचल सम्पत्ति जो ई-188, तीसरा चरण, रीको औद्योगिक क्षेत्र, बिलियां, भीलवाड़ा राजस्थान पर स्थित हैं, जिसमें फैक्ट्री, भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अंग हैं, जिसकी माप 4032 वर्ग मीटर हैं। अनुसूची - 2 अनुसार मैसर्स कमल सूटिंग्स प्रा. लि. की दृष्टिबंधक प्लान्ट व मशीनरी तथा फेब्रिके माल का स्टॉक, स्टॉक इन प्रोसेस, तैयार माल तथा अर्द्ध निर्मित माल व कम्पनी की अन्य फिक्स सम्पतियां आदि। अनुसूची -3 अनुसार सत्यनारायण टवानी पुत्र पारसराम टवानी की आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट नं. 84, शास्त्रीनगर, मेन सैक्टर, भीलवाड़ा पर स्थित हैं जिसमें भूमि, भवन ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसकी माप 1500 वर्गफीट हैं। अनुसूची - 4 अनुसार श्रीमती निशा टवानी पत्नी विनोद कुमार टवानी की वाणिज्यिक दुकान जो दुकान नं. डी- 13, (ग्राउण्ड फ्लोर) डी ब्लॉक, भीलवाड़ा टैक्सटाईल मार्केट, बी.टी.एम. दुदुवाला काम्पलेक्स, गांधी नगर भीलवाड़ा पर स्थित हैं जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसकी माप 428 वर्गफीट हैं। अनुसूची - 5 अनुसार मैसर्स विनोद सिन्थेटिक्स की औद्योगिक सम्पत्ति जो प्लॉट नं. 11,12,13, पश्चिम की तरफ का हिस्सा "



21

पार्ट-बी" ग्राम नई ईरास, पंचायत सुवाणा, जिला भीलवाडा पर स्थित हैं जिसकी माप लगभग 2618 वर्गफीट हैं, जो अप्रार्थी के स्वामित्व की है, को रहन रखा गया। दिनांक 31.01.2018 तक कुल बकाया ऋण की राशि 12,13,53,640.88/- रुपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 18.01.2018 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित होकर जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:-


1.रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2.आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ-पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाडा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21-8-2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(राजेन्द्र भट्ट)  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा  
भीलवाडा ( राज. )